सीगा सिंचाई प्रकरण संख्या 01/2012 अनवान् जगदीश प्रसाद पुत्र दौलाराम जाति बिश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर बनाम अमरजीत सिंह पुत्र **तेजा सिंह कौम कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर 2. जसवीर कौर पत्नी अमरजीत सिंह कौम कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जसकरण सिंह औलख उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 एसडीएस पत्थर नम्बर 67/120 की कृषि भूमि की सिंचाई प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 4 एसडीएस के पत्थर नम्बर 67/121 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में सिंचाई पानी लिफ्ट बाबत एक्सईएन, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे एक्सईएन, हनुमानगढ़ ने दिनांक 02.01.1989 को स्वीकृत किया। जिसके विरूद्ध माननीय अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 14/89 ओमप्रकाश वगैरहा बनाम अधिशाषी अभियन्ता प्रस्तुत की, जो दिनांक 20.091989 को उनके द्वारा खारिज कर दी गई।

उनका आगे यह भी कथन था कि अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 19/1990 अनवान् महंगा सिंह ओम प्रकाश वगैरहा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 30.09.1994 को निरस्त कर दी गई। जिसकी रिट याचिका प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की हुई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2007 से मुख्य अभियंता के आदेश को निरस्त कर अधिशाषी अभियंता व अधीक्षण अभियन्ता के आदेश को स्वीकृत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में एक्सईएन, हनुमानगढ ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आदेशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किया कि वह खाले हेतु 4 बिस्वा भूमि जो अधिग्रहण की गई है की राशि भरवा ली जावे। उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा सम्बन्धित काश्तकार द्वारा 27.01.2011 को रसीद संख्या 52, बुक संख्या 0446687 के द्वारा 29936/– रूपये की राशि अमरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह को भुगतान हेतु जमा करवा दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रिट याचिका संख्या 11465/2011 जिसके संलग्न याचिका संख्या 97/2010 एवं 351/1995 प्रेषित की गई, जो दिनांक 24.11.2022 को निरस्त कर दी गई है। इसलिए सम्बन्धित विभागन ने प्रकरण में जल निकास अधिनियम की धारा 21 से 28 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया है।

इसके विरूद्ध अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पत्थर नं. 67/121(10) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर जो जलमार्ग चल रहा है, उसमें किला नं. 5, 6 15 की भूमि का मालिक प्रार्थी जगदीश है व किला नं. 16 व 25 की भूमि का मालिक अप्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र तेज सिंह एवं जसवीर कौर पत्नी अमरजीत सिंह हैं। इसलिए अप्रार्थीगण के पत्थर नं. 61/121 के किला नं. 16 व 25 के दो–दो बिस्वा भूमि का उसे उचित मुआवज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें, उपभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ के **प्रतिवेदन दिनांक 13.08.2012 का अवलोकन किया गया जिसमें अधीशाषी अभियंता, हनुमानगढ़ द्वारा निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई है:**

> अमरजीत सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2007 के विरूद्ध रि[illegible] दायर की है जो अभी विचाराधीन है, [illegible]
>
> इसके पश्चात [illegible] उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 27.01[illegible]11 के विरूद्ध अपील संख्या 57/2011 दायर की वहां भी दिनांक 15.06.2011 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

खारिज हो गयी, फिर रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर में अपील दायर की वहां भी खारिज हो गयी। अन्त में अप्रार्थी अमरजीत सिंह माननीय अति. सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में दीवान वाद संख्या 43/2011 का 26.08.2011 को स्थगन आदेश प्राप्त किया व 11.01.2012 को निर्णय कर डिग्री जारी कर दी, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का निर्णय दिनांक 27.01.2011 निरस्त कर दिया क्योंकि जल अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति के लिए जिला कलैक्टर ही सक्षम अधिकारी है। (फोटो कॉपी अति. सिलिव न्यायाधीश (क.ख.) संख्या संलग्न है।

मूल रिकॉर्ड आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र दौलाराम ने डीलएसी रेट के मुताबिक 26,936/— रूपये राशि अमर सिंह पुत्र तेजा सिंह आदि निवासी तख्तहजारा को भुगतान हेतु राजकीय कोष में दिनांक 27.01.2011 को जमा कर दी (फोटो प्रति संलग्न है।) पत्थर नं. 62/121(10) के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर जो जलमार्ग चल रहा है, उसमें कि.नं. 5, 6, 15 का भूमि मालिक स्वयं श्री जगदीश है व कि.नं. 16, 25 का भूमि मालिक अमरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह व जसवीर कौर पत्नि अमरजीत सिंह है एवं जल निकास अधिनियम की धारा 21 से 28 जिला कलैक्टर महोदय को शक्तिया प्राप्त है अतः प.नं. 61/121 के कि.नं. 16 व 25 में [illegible] की स्वीकृति शीध्र प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड प्रथम
हनुमानगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियंता द्वारा उक्त प्रतिवेदन राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 के तहत भूमि अवाप्ति की स्वीकृति हेतु प्रकरण अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 13.08.2012 से पूर्व अधिशाषी अभियंता, हनुमानगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दौलाराम कुम्भाराम द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 351/95 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2007 के निर्णय की पालना में मुरब्बा नं. 67/121 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से प्रार्थी की मांग के अनुसार जलमार्ग स्वीकृत किया जाना है। जिसमें उक्त मुरब्बा नं. 67/121 के किला नं. 5, 6, 15 प्रार्थी पक्ष जगदीश पुत्र दौलाराम के है व किला नं. 16 व 25 अप्रार्थी पक्ष के है। जिस पर किला नं0 16 व 25 में अवाप्त की जाने वाली भूमि के लिए डीएलसी दर से राशि जमा करवाने की प्रार्थना की थी, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2011 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 67/121 के किला नं. 5, 6 15 जो प्रार्थी दौलाराम मृतक के पुत्र जगदीश पुत्र दौलाराम के नाम से है व किला 16 व 25 अप्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। किला नं, 16 व 25 में खाल के लिए अवाप्त की जाने वाली 4 बिस्वा भूमि के लिए डीएलसी की दर से 26,936/— रूपये अप्रार्थी खातेदार के नाम से राजस्थान जल सिंचन निकास अधिनियम 1954 के नियम 21 से 28 में दिये गये प्रावधानानुसार जमा करवायी जावे एवं उक्त राशि अप्रार्थी खातेदार अमरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह को भुगतान हेतु जमा करवाने के आदेश दिये गये है।

तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा जारी किये चैक संख्या 0446687 रसीद संख्या 052 दिनांक 27.01.2011 को राशि 26,936/— रूपये राजकोष में अप्रार्थी पक्ष को मुआवाजे के लिए अमानत के रूप में जमा करवाये जा चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 06.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत एसबी सिविल रिट पैटीशन संख्या 11465/2011 के संलग्न रिट संख्या 97/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 से खारिज की जा चुकी है और पूर्व आदेश दिनांक 06.04.2007 बहाल रखा गया है, जो अन्तिम हो चुका है। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी जगदीश जो की मृतक दौलाराम का पुत्र है की कृषि भूमि के लिए अधिशाषी अभियंता, हनुमानगढ के प्रतिवेतन दिनांक 13.08.2012 के अनुसार पत्थर नम्बर 67/121(10) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मौका पर जो जलमार्ग चल रहा है उसमें कि.न. 5, 6, 15 स्वयं प्रार्थी जगदीश के है व कि.नं. 16, 25 का भूमि मालिक अमरजीत सिंह पुत्र तेजा सिंह एवं जसवीर कौर पत्नी अमरजीत सिंह है में जल मार्ग स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि में स्वीकृत खाल के लिए किला नं. 5, 6, 15 स्वयं प्रार्थी जगदीश की है और किला नं. 16, 25 अप्रार्थी अमरजीत सिंह व जसवीर कौर के है। उक्त दोनों किला नं. 16 व 25 में अवाप्त की जाने वाली 2–2 बिस्वा भूमि के लिए प्रार्थी पक्ष द्वारा 26,936/– रूपये मुआवजा के रूप में दिये जाने हेतु तहसील, सादुलशहर में दिनांक 27.01.2011 को जमा करवाये जा चुके है। अतः तहसीलदार, सादुलशहर को आदेश दिया जाता कि किला नं. 16 व 25 के स्वामी को उक्त जमाशुदा राशि मय ब्याज के भुगतान की जाकर, उक्त खाल का राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन खाल के रूप में चक 4 एसडीएस के मुरब्बा नम्बर 67/121 के किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 की 2–2 बिस्वा भूमि का इन्द्राज किया जावे। **आदेश की प्रति, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, एवं उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, सादुलशहर**, को पालनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील शामिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर **खुले न्यायालय में सुनाया** गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर